भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 249

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941(शक)

बाल श्रम

249. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या ये कदम सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) बाल श्रम को कब तक पूर्णतया समाप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भारत सरकार देश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को संशोधित किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन अथवा कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध, नियोजन पर प्रतिषेध की आयु को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु से संबद्ध करना; किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) का जोखिमकारी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिषेध और अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाना शामिल है।

जारी....2/-

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन के पश्चात सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 बनाये हैं।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को कार्य से बचाया/छुड़ाया जाता है तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ग): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता का परिणाम है। सरकार पूर्ण रूप से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु एक समग्रात्मक एवं बहु-आयामी कार्यनीति का पालन कर रही है। तथापि, बाल श्रम की समस्या की बहुमुखी प्रकृति के दृष्टिगत बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु एक निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

* ****

अनुबंध-I

बाल श्रम के संबंध में श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 249 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या :

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	814	203	778
2.	असम	434	915	4562
3.	बिहार	0	2800	0
4.	गुजरात	0	187	100
5.	हरियाणा	40	0	90
6.	झारखंड	334	2014	715
7.	कर्नाटक	681	679	752
8.	मध्य प्रदेश	4442	11400	21387
9.	महाराष्ट्र	1692	5250	3721
10.	पंजाब	592	994	579
11.	राजस्थान	630	105	0
12.	तमिलनाडु	2850	2855	3021
13.	तेलंगाना	1431	2137	915
14.	उत्तर प्रदेश	3066	0	7374
15.	पश्चिम बंगाल	13973	17899	22114
16.	नागालैंड	0	197	61
	कुल	**30979**	**47635**	**66169**

****